


राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-14)

क्रमांक प0 2(1)ग्राविवि/SECC/नोटि./14/2011-पार्ट-3 जयपुर, दिनांक 13.09.2011  
अधिसूचना

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 24.06.2011 के अनुसार सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 हेतु राज्य सरकार राजस्थान में निम्नांकित अधिकारियों को उनकी अधिकारिताओं की सीमाओं के भीतर सन् 2011 में होने वाली सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के संबंध में एतद द्वारा जनगणना अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

1.	जिले का कलक्टर	प्रमुख सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 अधिकारी
2.	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/समकक्ष अधिकारी	जिला सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 अधिकारी
3.	जिला सांख्यिकी अधिकारी	अतिरिक्त सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 अधिकारी
4.	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी	अतिरिक्त सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 अधिकारी
5.	उपखण्ड अधिकारी	सहायक सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 अधिकारी
6.	तहसीलदार	चार्ज अधिकारी, सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011

  
(सी.एस.राजन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव  
एवं नोडल अधिकारी, SECC-2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
7. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिव गण।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष।

9. समस्त जिला कलेक्टर्स।
10. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6-बी, झालाना डुगरी, जयपुर।
11. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
12. समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
13. समस्त जिला साख्खिंकी अधिकारी, राजस्थान।
14. समस्त तहसीलदार, राजस्थान।
15. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, शासन सचिवालय जयपुर।
16. समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राजस्थान।
17. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोकसेवा आयोग जयपुर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।

M<sup>2</sup> 13/9/02  
शासन सचिव